न्यायालय उपखंड अधिकारी, संगरिया (हनुमानगढ)

प्रकरण :- प्रा.प./251-ए RTA /

ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट सा. ढाबां, तहसील संगरिया प्रार्थी

बनाम

प्रदीप कुमार पुत्र ख्याली राम जाति जाट सा. ढाबां तहसील संगरिया

अप्रार्थी / गण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :- श्री राजेश बुडानिया वकील प्रार्थी

श्री दीपेन्द्र कुमार वकील अप्राथी

-:: आदेश ::- दिनांक :- 10.10.2022

अंतर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. प्रार्थी द्वारा धारित भूमि चक

चक । एस.एन.जी. के खाता सं. 7/6 ज.सं. 2071-2074
पत्थर न. 216/151 मु.न. 43 कि.न. 11,20 = 0 .506 हैक्टेयर
पत्थर न. 215/151 मु.न. 44 कि.न. 6,7,14,15 = 0.9620 हैक्टेयर
मय खाला =0.051 हैक्टेयर

2. अप्रार्थी के खेत / मुरब्बे की स्थिति

चक । एस.एन.जी. के खाता सं. 24/20 में
प.न. 215/151 मु.न. 44 किला.न. 16 ता 25
प.न. 216/151 मु.न. 43 कि.न. 21 = 2.784 हैक्टेयर
मय खाला = 0.051 हैक्टेयर

3. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि / मुरब्बे में चाहा गया रास्ता

प.न. 216 /151 के मु.न. 43 के कि.न. 21 में 16-½ फीट चौड़ा एवं उत्तर दक्षिण लम्बा, किला न. 22 से चिपता हुआ

10/10/22
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4. अप्रार्थी-गण का पक्ष :- प्रार्थी द्वारा

प्रार्थना पत्र के जवाब में सीपीसी आदेश 7, नियम 11 के तहत विधि विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर, अन्य मार्ग उपलब्ध होने के तथ्य छुपाने व हल्का पटवारी से मिलकर रिपोर्ट कराने के आक्षेप लगाये गये। प्रार्थी ने जवाब में आक्षेप नकारे। अप्रार्थी ने बाद में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मु. न. 43 के कि.न. 18,19 से रास्ता दिया जा सकता है क्योंकि कि.न. 22 से प्रार्थी आना जाना करता है। कि.न. 21 से रास्ता देने पर अप्रार्थी का किला खंडित हो जाता है। (* दृष्टांत :-प्रभुराम /स्टेट उच्च न्या .रिट /4356/2015, सर्वोच्च न्या. सिविल अपील 5540/2016, सीपीसी 7/11)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. नजरी नक्शा

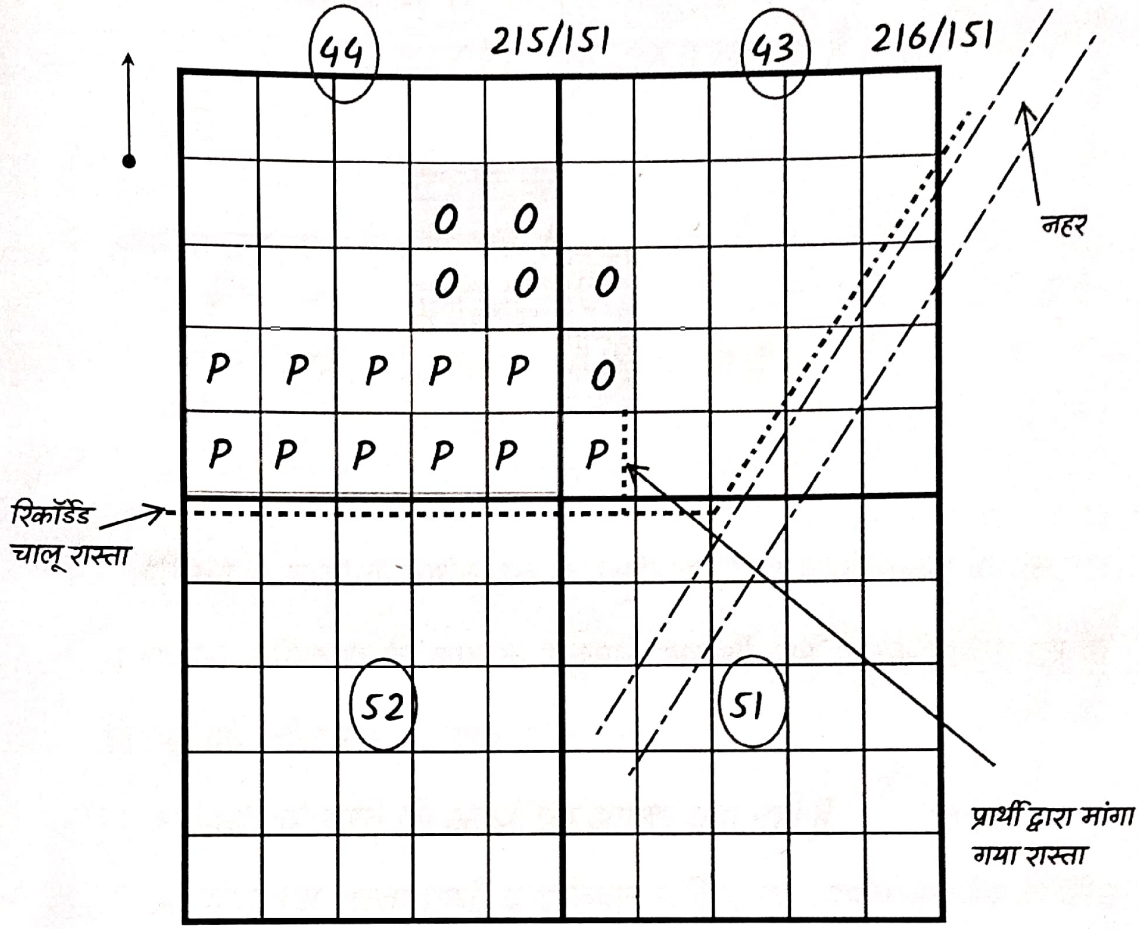

6. राजस्व अधिकारी की जांच :- रिपोर्ट दिनांक 21.01.2022

7. मौका जांच में उपस्थित सुभाष पुत्र ओमप्रकाश
दाना राम, सुरेन्द्र, महावीर प्रसाद, पवन आदि।

अप्रार्थी ने दूरभाष पर रास्ता देने से इन्कार किया।
उपखंड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 29.09.2022

10/10/22
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. तहसीलदार की टिप्पणी

रास्ते की आवश्यकता :- हां , आत्यंतिक आवश्यक हैं ।

वैकल्पिक मार्ग अन्य कोई हो :- नहीं , कोई अन्य मार्ग नहीं हैं ।

चाहा गया रास्ता लघुत्तम मार्ग है :- हां , लघुत्तम मार्ग यही हैं ।

अन्य कोई टिप्पणी :-

मु.न. 51 के किला नम्बर 1, 2 में पूर्व से चालू रिकॉर्डेड रास्ते को मांगा गया रास्ता जोड़ता हैं ।

9. क्या मामला पारस्परिक सहमति से तय हुआ है :-

नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ हैं ।

10. **विनिश्चय**:- प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व उसके क्रम में अप्रार्थी ~~गण~~ के प्रत्युत्तर व राजस्व अधिकारी की जांच के अनुसार, अप्रार्थी-~~गण~~ ; उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध यह नहीं सिद्ध कर पाया है कि –

- प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है ,
- मांगा गया रास्ता प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के उपभोग उपयोग के लिये ही चाहा जा रहा है ,
- प्रार्थी को अपनी जोत में पंहुचने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग पहले से ही उपलब्ध है ।

अत: एतद्द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया व तहसीलदार द्वारा सुझाया गया रास्ता तुल्य व लघुत्तम एवं आवश्यक है ।

10/10/22
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

11. **आदेश** :- प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, चक 1 एस.एन.जी के पत्थर न. 216/151 मुरब्बा न. 43 किला न. 21 में कि.न. 22 से चिपता 16½ फीट चौड़ा एवं उत्तर से दक्षिण दिशा में 02 बिश्वा (हैक्टेयर 0.025) भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है । प्रार्थी द्वारा रास्ते की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (1)ii(a) के तहत भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. दरों (राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 2, नियम 58 के अनुसार) की दुगुनी राशि, अप्रार्थी ~~को~~ को अदा की जायेगी । राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (2) के तहत अप्रार्थी की भूमि पर कोई फसल, खड़े वृक्ष या संरचना इत्यादि कोई हो तो भू.अ.निरीक्षक इसका निर्धारण करके तहसीलदार को बतायेगा तथा तहसीलदार अपने तहसील राजस्व लेखाकार के माध्यम से इनकी पूर्ण गणना कर प्रार्थी से रास्ते की एवज में मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी / अप्रार्थी ~~को~~ को बतायेगा । अप्रार्थी ~~को~~ द्वारा राशि लेने से मना करने पर तहसीलदार राजस्व अमानत मद में राशि जरिये चालान जमा करायेगा ।

12. आदेश सुनाया गया ।

10/10/22

(रमेश देव)

उपखंड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
संसारिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official